फर्द अहकाम

सोनु वगै0 बनाम वंशी वगै0

लय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं0 105/2024

0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.11.2024	अधिवक्ता श्री राम सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबंद कराने तथा विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करने, बेदखल नहीं करने, वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करने, निर्माण नहीं करने तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया गया। हमने अधिवक्ता प्रार्थीयागण को एकपक्षीय सुना व प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीयागण, शपथ पत्र एवं दस्तावेज से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 101/1.8968, 103/1.6565, 126/0.6955, 128/0.5437, 159/0.8725, 161/0.5184, 162/0.0253 वाके ग्राम जोरपुरा पटवार हल्का जोरपुरा सुन्दरियावास तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 कि विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करे, बेदखल नहीं करे, निर्माण नहीं करे, वादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण को इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.12.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	18.12.24	वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC मूल वाद में पेश होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. /202......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		धारा 212 R.T.A. की आज की पेशी में तलब किया गया। प्रकरण में मूल वाद विड्रॉ प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसम कुमार हीमार नंबर से नाम हीमार दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर